लोकायुक्त का कार्यालय
ऑड्रे हाऊस, झारखण्ड, राँची।

अनुसूची ''क''

परिवाद संख्या ...../200

श्री/सर्वश्री .....परिवादी

बनाम्

श्री/सर्वश्री .....लोक–सेवक

जिसके विरूद्ध परिवाद किया जाय। इसमें परिवादी निम्नलिखित परिवाद करता है :–

(यहाँ जिस काग्रवाई के विरूद्ध परिवाद किया गया है उसका तथा परिवेदना (ग्रीवांस) या अभिकथन का संक्षिप्त सारांश उल्लिखित करें)

{लम्बे कथन (बयान)से बचा जाय}

यहद परिवादित आदेश (याने वह आदेश जिसके विरूद्ध शिकायत की जा रही है) की तारीख से 12 महीने के बीतने के बाद ऐसा परिवाद (शिकायत) किया जाय जिसमें परिवेदना (ग्रीवांस) अन्तर्ग्रस्त हो तो वह तारीख दें जिस तारीख को परिवादित कार्रवाई की जानकारी परिवादी (शिकात करने वाले) की हुई और साथ ही उन आधारों का विवरण भी दें जिसमें इस अधिनियम की धारा–8 (4)(क) में विनिर्दिष्ट अवधि के अन्तर्गत परिवाद नहीं दायर करने के लिए पर्याप्त कारण दिखाये गये हों।

परिवाद के प्रकथनों (एवरमेंट) के समर्थन में एक सम्यक् रूप से ली गयी शपथ का पत्र इसके साथ फाइल किया जाता है।

आज तारीख .....200 (महीना और वर्ष) को ।

1. लोकायुक्त–10

परिवादी का हस्ताक्षर या

अंगूठे का निशा।